



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062026-273236
CG-DL-E-08062026-273236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 402]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

सा.का.नि. 449(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 की अनुसूची-1 में,—

(क) प्ररूप-च1 में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) भाग-2 में, क्रम संख्या 7 के पश्चात्,—

(अ) “@प्रेषित किए गए आरओएम अयस्क की श्रेणियां:” शीर्षक के अधीन, सारणी में, “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों के सामने, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe आरओएम से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)

(कख) 35% से 45% से नीचे Fe आरओएम (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);
--

(ख) “**उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए हैं (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए हैं, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं):”, शीर्षक के अधीन, सारणी में, “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों में, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन,—

(I) मद संख्या (i) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)

(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);
--

(II) मद संख्या (ii) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)

(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);
--

(iii) सारणी के अंत में टिप्पण का लोप किया जाएगा।

(ख) प्ररूप-च 2 के, प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) प्ररूप-च 3 में, प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप-छ 1 में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) भाग-7 के पश्चात्,—

(क) “@प्रेषित किए गए आरओएम अयस्क की श्रेणी:” शीर्षक के अधीन, सारणी में, “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों के सामने, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe आरओम से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)
--

“(कख) 35% से 45% से नीचे Fe आरओम (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;
--

(ख) “**उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए हैं (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए हैं, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं):”, शीर्षक के अधीन, सारणी में “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों में, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन,—

(I) मद संख्या (i) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)

“(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;

(II) मद संख्या (ii) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)

“(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;

(iii) सारणी के अंत में टिप्पण का लोप किया जाएगा।

(ड) प्ररूप-छ 2 में, प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) प्ररूप-छ 3 में, प्रारंभिक भाग में, “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 का नियम 62” शब्दों और अंकों के स्थान पर “खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का नियम 66” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(छ) प्ररूप-ठ में, “सत्यापन” के पश्चात्, शीर्षक “#उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए हैं (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए हैं, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं):”, के अधीन,—

(i) सारणी में “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों में, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन,—

(क) मद संख्या (i) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)
(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;

(ख) मद संख्या (ii) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)
(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;

(ii) सारणी के अंत में टिप्पण का लोप किया जाएगा।

(ज) प्ररूप-ड में, “सत्यापन” के पश्चात्, शीर्षक “#उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए हैं (यदि नीचे श्रेणी अलग से नहीं दिखाएं गए हैं, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं):”, के अधीन,—

(i) सारणी में “लौह अयस्क” शीर्षक वाली पंक्तियों में, “श्रेणियां” से संबंधित स्तम्भ के अधीन,—

(क) मद संख्या (i) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)
(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु);”;

(ख) मद संख्या (ii) के अधीन, क्रम संख्या (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(कक) 35% Fe से नीचे (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)
(कख) 35% से 45% से नीचे Fe (केवल हेमेटाइट अयस्क हेतु)”;

(ii) सारणी के अंत में टिप्पण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. M.VI-1/6/2021-खान VI]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169(अ), तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए, अर्थात्:—

1. सा.का.नि. 289(अ), तारीख 27 मार्च, 2018;
2. सा.का.नि. 570(अ), तारीख 13 अगस्त, 2019;
3. सा.का.नि. 780(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2021;
4. सा.का.नि. 294(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2022;
5. सा.का.नि. 51(अ), तारीख 21 जनवरी, 2024; और
6. सा.का.नि. 232(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2025।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2026

G.S.R. 449(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, in Schedule-I, —

(a) in FORM F1, —

(i) in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(ii) in PART -II, after serial number 7, under the heading, —

(A) “@Grades of ROM ore dispatched:”, in the table, against rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”, after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe ROM (For Hematite Ore Only)
“(ab) 35% to below 45% Fe ROM (For Hematite Ore Only)”;

(B) “**Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):”, in the table, in the rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”,—

(I) under item number (i), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
“(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only)”;

(II) under item number (ii), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
“(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only)”;

(iii) at the end of the table, Note shall be omitted.

(b) in FORM F2, in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(c) in FORM F3, in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(d) in FORM G1, —

(i) in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(ii) after PART-VII, under the heading, —

(A) “@Grades of ROM ore dispatched:”, in the table, against rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”, after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe ROM (For Hematite Ore Only)
“(ab) 35% to below 45% Fe ROM (For Hematite Ore Only)”;

(B) “**Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):”, in the table, in the rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”, —

(I) under item number (i), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only);

(II) under item number (ii), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only);

(iii) at the end of the table, the Note shall be omitted;

(e) in FORM G2, in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(f) in FORM G3, in the opening portion, for the words and figures “rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988”, the words and figures “rule 66 of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017” shall be substituted;

(g) in FORM L, after “VERIFICATION”, under the heading “#Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):”, —

(i) in the table, against the rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”, —

(A) under item number (i), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only);

(B) under item number (ii), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only);

(ii) at the end of the table, the Note shall be omitted.

(h) in FORM M, after “VERIFICATION”, under the heading “#Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):”, —

(i) in the table, against the rows titled “Iron Ore”, under the column relating to “GRADES”, —

(A) under item number (i), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only)”;

(B) under item number (ii), after serial number (a) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

“(aa) Below 35% Fe (For Hematite Ore Only)
(ab) 35% to below 45% Fe (For Hematite Ore Only)”;

(ii) at the end of the table, the Note shall be omitted.

[F. No. M.VI-1/6/2021-Mines VI]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note. — The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 169(E), dated the 27th February, 2017 and were subsequently amended as follows: —

1. G.S.R. 289(E), dated the 27th March, 2018;
2. G.S.R. 570(E), dated the 13th August, 2019;
3. G.S.R. 780(E), dated the 3rd November, 2021;
4. G.S.R. 294(E), dated the 11th April, 2022;
5. G.S.R. 51(E), dated the 21st January, 2024; and
6. G.S.R. 232(E), dated the 16th April, 2025.